FORM NO. 3

फर्द अहकाम

अदालत.........................उपखण्ड अधिकारी, ... मुकाम......................रामगढ शेखावाटी ....
....जमाल खां...............बनाम......................हाकमअली खां आदि..
..................अ. धारा ....मु. न. ....174 / 13...सन..........2013.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
18.02.2020	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं वादी स्वयं अनुपस्थित। प्रतिवादीगण अनुपस्थित। हस्तगत प्रकरण में न्यायालय के आदेश दिनांक 29.08.2011 द्वारा प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी। अंतिम डिक्री की कार्यवाही हेतु तहसीलदार से बंटवारा प्रस्ताव चाहे गये। तहसीलदार द्वारा पक्षकारों की वादग्रस्त आराजी के अलावा भी सहखातेदारों की भूमि होना जाहिर किया गया है। तहसीलदार के प्रतिवेदन दिनांक 17.02.2020 से साबित हैं कि वादी द्वारा पेश दावा में वर्णित आराजी के अलावा खसरा नम्बर 201, 223, 234, 243 ग्राम दाडून्दा पक्षकारों की सहखातेदारी की आराजी है। इस प्रकार समस्त आराजी का समेकित दावा पेश नहीं होने से पक्षकारों के स्वत्वों का समुचित निर्णयन नहीं हो सकता। दावा concealment of facts के दोष से ग्रसित होने से खारिज होने योग्य है। अतः वाद वादी साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 18.02. 2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हों। (निधि सिंह) उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Nidhi Singh
Date: 2020.02.20 16:43:26
IST
Reason: SelfAttested